अनुप्रति योजना

बजट घोषणा वर्ष 2011 के अनुसरण में अनुप्रति योजना को प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम ,सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध व पारसी) के विद्यार्थियों हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उतीर्ण होने, **IIT'S, IIM'S AIIMS, NITS, CLAT,IIS Banglore, IIS & AR, (Kolkata and Banglore) GoI/MCI Certified**, मेडिकल कॉलेजो इत्यादि शीर्ष शिक्षण संस्थानों में प्रवेश तथा 10+2 स्कीम के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उतीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य के इंजीनियरिंग एंव मेडिकल कॉलेजो में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है। अनुप्रति योजना को वर्ष 2017–18 से ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया लागू की जा चुकी है।

योजनान्तर्गत देय अनुदान सहायता

संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	अनुदान राशि (रुपये में)		
	प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	साक्षात्कार पश्चात् चयनित होने पर
ICS	65,000/–	30,000/–	5,000/–
Rajasthan State & Subordinate Services	25,000/–	20,000/–	5,000/–

क्र. सं	प्रतियोगी परीक्षा	अनुदान की राशि (रुपये में)	
		प्री/मुख्य परीक्षा उतीर्ण होने पर	साक्षत्कार में उत्तीर्ण होने एवं संस्थान में प्रवेश लेने पर
1	IIT's	NIL	50,000/–
2	AIIM'S	NIL	50,000/–
3	IIM'S	25,000/–	25,000/–
4	CLAT	NIL	40,000/–
5	IIS(Banglore)	NIL	50,000/–
6	IIS AR (Kolkata & Banglore)	NIL	50,000/–
7	GOI/MCI Certified National level Medical College	20,000/–	20,000/–

प्रतियोगी परीक्षा	अनुदान राशि
10+2 में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के राजकीय मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश लेने पर	10,000/–रुपये

पात्रता :–

1. माता–पिता/अभिभावक (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुऐ) की पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक नही होनी चहिये।
2. भारतीय सिविल सेवा एवं राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि एवं तृतीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी, उसके बाद कोई सहायता राशि नहीं दी जायेगी।

उप निदेशक–द्वितीय
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
राजस्थान,जयपुर

3. यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में उत्तीर्ण होता है तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ देय होगा, जो कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा।
4. प्रार्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए।
5. प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक खाता से लिंक होना चाहिए है तथा जन–आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

योजना का Workflow:- Applicant ⇨ DMWO ⇨ Directorate Minority

ऑनलाईन आवेदन प्रकिया :–

1. सर्वप्रथम अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु SSO ID के लिए **https://sso.rajasthan.gov.in** पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य है, अभ्यर्थी द्वारा SSO ID का केवल एक बार ही पंजीयन होगा।
2. यदि जन–आधार कार्ड में अभ्यर्थी का नाम अंकित नही है तो निकटतम ई–मित्र से सम्पर्क कर आवश्यक रूप से नाम जुडवावें।
3. पंजीयन करने पर अभ्यर्थी को प्राप्त SSO ID के माध्यम से पोर्टल को Login करना होगा, उसके बाद Scholarship के विकल्प का चयन करना है।
4. तत्पश्चात अभ्यर्थी को पोर्टल पर अपनी प्रोफाईल अपडेट करनी है।
5. Profile Create होने के बाद निम्न विकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित होगे :–
   - Profile View
   - Profile Update
   - **New** Application :– विकल्प में योजना से संबंधित 03 फार्म प्रदर्शित होगे, जो निम्नानुसार है:–

(1) 10+2 With 60%

(2) IIT, AIIMS' & Higher Education.

(3) IAS/RAS FORM.

उपरोक्त तीनों विकल्पों में से किसी एक का चयन कर अभ्यर्थी आवेदन प्रारम्भ कर सकता है।

उप निदेशक–द्वितीय
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
राजस्थान,जयपुर

संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड़ किये जाने वाले Documents निम्नानुसार है:–

1. माता–पिता/अभिभावक की पारिवारिक वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र या नियोजक की ओर से जारी आय प्रमाण–पत्र, जो विभागीय वेबसाईट **www.minority.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड़ किया जा सकता है।
2. आवेदित प्रतियोगी परीक्षा की स्वःप्रमाणित अंकतालिक अथवा प्रतियोगी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने का स्वःप्रमाणित प्रमाण–पत्र।
3. पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने व राजकीय सेवा में होने /न होने सम्बन्धी विवरण तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशानुसार सफल प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण सम्बन्धित अभ्यर्थियों के निर्धारित शपथ पत्र देने पर ही लाभ देय होगा, जो विभागीय वेबसाईट **www.minority.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड़ किया जा सकता है।
4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र इन्द्राज करने के पश्चात् आवेदन–पत्र का स्टेटस समय–समय पर प्रार्थी के पंजीकृत मोबाईल न0 एवं ईमेल पर प्राप्त होता रहेगा।
5. अभ्यर्थी द्वारा Final Sumbit करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के एस0एस0ओ पोर्टल पर प्रदर्शित होगा।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की कार्य–प्रकिया :–

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की स्वयं की SSO ID होना अनिवार्य है। यदि SSO ID नही है, तो SSO ID के लिए **https://sso.rajasthan.gov.in** पर लॉगिन कर आधार कार्ड से लिंक कराकर पंजीयन किया जा सकता है।

2. **जिला अधिकारियों द्वारा स्कूटनी के समय निम्न दस्तावेजों की जॉच की जानी है:–**

➢ माता–पिता/अभिभावक की पारिवारिक वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र या नियोजक की ओर से जारी आय प्रमाण–पत्र,

➢ 10+2 एवं अन्य उच्च शिक्षा हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की स्वःप्रमाणित अंकतालिका अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार उत्तीर्ण करने की स्वःप्रमाणित अंकतालिका/प्रमाण–पत्र प्रति।

➢ पूर्व में योजना का लाभ लेने/नहीं लेने व राजकीय सेवा में होने /न होने सम्बन्धी विवरण तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशानुसार सफल प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण सम्बन्धित अभ्यर्थियों के निर्धारित शपथ पत्र देने पर ही लाभ देय होगा,

3. जिला अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र सही पाये जाने पर आवेदन–पत्र को मुख्यालय स्तर पर अग्रेषित किया जाएगा।

उप निदेशक–द्वितीय
अल्पसंख्यक मामलात विभाग
राजस्थान,जयपुर